

महाराष्ट्र को तमिलनाडु मत बनाओ राज !

भाषाई विवाद से दक्षिण अभी तक मुक्त नहीं हुआ है और एक बार फिर महाराष्ट्र भाषाई विवाद में उलझता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी विधायकों से कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाये जाने का फैसला किया तो महाराष्ट्र निर्दलनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे इसके विरोध में आ गए। अब एकजुट हिंदी गुट ने उन पर निशाना साधा है। जाहिर है कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार है सो उसका हिंदी के खिलाफ जाना नामुमकिन है। भारत में 77 को लेकर विवाद नया नहीं है। आजादी के भाषा सात भाई थे विवाद न सिर्फ जिंद है बल्कि लगातार जारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तीन भाषाओं को पढ़ाने का प्रावधान आने के बाद, दक्षिण में केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच हिंदी-तमिल विवाद ने और जोर पकड़ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हिंदी को मातृभाषाओं का 'हल्यारा' तक कह डाला। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार हिंदी थोपकर भाषाई अस्मिता को कमजोर कर रही है। डीएमके नेता कनिमोळी ने भी इस मुद्दे पर कहा कि उनकी आपत्ति हिंदी को थोपे जाने से है, न कि भाषा को लेकर।

सवाल ये है कि क्या किसी एक देश की एक भाषा होना चाहिए या नहीं। सवाल ये भी है की क्या अहिन्दी भाषी राज्य एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं जो वे अपनी मातृभाषा को ही अपना राजभाषा बनाये रखना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि क्या नई शिक्षा नीति में सचमुच हिंदी अहिन्दी भाषियों पर थोपी जा रही है ? हर भाषा-भाषी को अपनी मातृभाषा पर गर्व होता है, होना भी चाहिए किन्तु क्या केवल क्षेत्रीय भाषाओं के बूते कोई एक राष्ट्रआगे बढ़ सकता है ? इन सवालों का जबाब खोजने के बजाय दक्षिण के राज्यों हिंदी के अंध विरोध में संघर्षरत हैं। हिंदी के विरोध से किसी को क्या नफ़ा-नुफ़ाना होता है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे ने विरोध किया है। ठाकरे ने कहा बयान में कहा है कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ

कि महाराष्ट्र नवनियमण सेना इस अनिवार्यता को बर्दाश्त नहीं करेगी। राज ठाकरे ने इसमें लिखा है 'हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदी नहीं।' अगर आप महाराष्ट्र को हिंदी के रांगे को कोशिश करेंगे, तो महाराष्ट्र में संघर्ष होना तय है।' ठाकरे ने लिखा है अगर आप यह सब देखेंगे, तो आपको लगना कि सरकार जानबूझकर यह संघर्ष पैदा कर रही है। क्या यह सब आज चला चुनो मैं मराठी और गैर-मराठी के बीच संघर्ष पैदा करने और उसका फायदा उठाने की कोशिश है?

राज ठाकरे महाराष्ट्र के स्टालिन नहीं हैं।
हलॉकी उनका अपना रूबना है, अपनी ताकत है।
वे स्टालिन की तर्ज पर हिंदी का विरोध कर रहे हैं।
महाराष्ट्र का और मराठी भाषा का भला शायद ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी आर्थिक राजधानी है और वहां पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया एकाकार होती है। महाराष्ट्र में रहने वालों को जितनी मराठी की जरूरत है उतनी ही हिंदी की भी। मैं राज ठाकरे का निजी जौन तो पर प्रेशंसक हूँ किन्तु उन्हें मशिवरा देना चाहूंगा कि वे हिंदी का विरोध छोड़ दें। हिंदी न तो मुगलों की भाषा है और न अंग्रेजों की। हिंदी न तमिल के खिलाफ है और न मराठी के खिलाफ। भाषाओं का वजूद उनके इस्तेमाल से बनता-बिगड़ता है। कोई भाषा किसी भाषा का नुक्सान तब तक नहीं कर सकती जब तक की उसके बोलने वाले ऐसा न चाहें। दुनिया में भारत की तरह बहुत से देश बहु भाषा भाषी हैं। दुनिया के बहु भाषाभाषी देश ऐसे हैं जो बहुभाषाभाषी होते हुए भी एक राष्ट्रीय भाषा के पक्षधर हैं। हमारे पड़ोस चीन में 306 भाषाएँ हैं और हमारे यहां 453 भाषाएँ लेकिन क्या हम भाषाओं की वजह से दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था बन जाए ? बहरहाल भाषा किसी को हिंदू, मुसलमान, सिख या होना नहीं बनाती। आप हिंदी बोलकर मराठी ईसाई नहीं बने। आप हिंदी बोलकर मराठी ईसाई नहीं बने। और चीनीदुसरे और हिंदी इस मामले में तीसरेसे नंबर पर हैं। हिंदी बोलने वालों की संख्या



637 मिलियन ही है।

राज भाई साहब को समझना चाहिए कि हिंदी सीखकर कोई मुसलमान या ईसाई नहीं हो सकता वो जो है वो ही रहेगा । मराठी है तो मराठी रहेगा, इस्लाम उन्हे अपना हिंदी विरोध छोड़ देना चाहिए। मुझे पता है कि राज ठाकरे को शिवसेना में एक से बढ़कर एक हिंदी भाषी दिग्गज हैं। उन्होंने मराठी भी सीख ली है ,लेकिन जरूरत के कठने पर नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसी तरह हिंदी सीखकर किसी की मराठी अस्मिता समाप्त हो जाएगी ,ये धारणा बनाना ही गलत है। राजनीति के लिए भाषा के अलावा और दूसरे तमाम मुद्दे हैं। भाषायी आधार पर राजनीति करने से न तमिलनाडु की कोई राजनितिक पार्टी आजतक राष्ट्रीय पार्टी बन पायी होर न महाराष्ट्र की किसी राजनितिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल पाया। राज ठाकरे का तर्क है कि देश के तमाम राष्ट्रों का गठन भाषायी आधार पर किया गया था,सही है लेकिन भाषायी आधार पर राज्य के गठन का ये अर्थ ये तो नहीं है कि वे किसी एक भाषा के जरिये सम्पूर्ण सूत्र में नहीं बन सकते। अतीत में जब मनसे नहीं थी तब भी भाषायी आधार पर गैर मराठियों के साथ आंदोलन भी हुए और गैर मराठियों कोमहाराष्ट्र से खदेड़ने की कोशिशें भी। लेकिन क्या महाराष्ट्र गैर मराठियों से रिवत या मुक्त हो गया

जिस दौर की दुनिया में है वहां न रंग के आधार पर , न जाति के आधार पर और न भाषा के आधार पर किसी से भेद नहीं किया जा सकता। भाषायी अस्पृश्यता भी उतनी ही खराब है जितनी कि जातीय अस्पृश्यता इसलिए हिंदी का विरोध करने से फायदा कम नुकसान जयदा होगा।

मुमकिन है कि कल को हिंदी के मुद्दे को लेकर राज ठाकरे की नमस्ते एकनाथ शिंदे को शिवसेना के साथ हाथ मिला ले लेकिन इससे न राज्य की सरकार अस्थिर होगी और न उसे ब्लैकमेल किया जा सकेगा। हिंदी के विरोध के किसी भी आंदोलन से महाराष्ट्र का महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का नुकसान होगा। दक्षिण वाले हिंदी का विरोध कर अपने सूबे की सियासत में तो टिके हैं लेकिन वे राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। हम चाहते हैं कि राज ठाकरे जैसे प्रतिभाशाली युवा राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनें ,किन्तु इसके लिए राज ठाकरे को अपनी भाषायी प्रतिक्रद्धता का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी के साथ खड़े होने का अर्थ मराठी या मराठियों का विरोध या उनके हितों का अतिक्रमण नहीं है।

राकेश अक्ल

राकेश अचल

चोरी और सीनाजोरी की नई कवायद करती न्यायपालिका



एक ओर हाइकोर्ट के एक जज के आवास मे बोरों में रखे धू धू कर जल रहे करोड़ों को करेंसी नोट न्यायिक व्यवस्था में झोल और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहे हैं दूसरी ओर मौलवाई महामहिम राष्ट्रपति को समयबद्ध काम करने का निर्देश जारी कर अपनी सीमाओं को लांच रहे हैं। अपने देश में न्यायपालिका और विधायिका में टकराव कोई नई बात नहीं है और बार फिर ऐसे ये यह टकराव खुल कर सामने आ गया है। तमिलनाडु में राज्य सरकार बनाम राज्यपाल विवाद अब सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति की शक्तियों तक आ पहुंचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधेयकों को पास करने की समय सीमा निर्धारित करने के बाद देश के उत्प्रादेशीक जगदीप धमघड ने नाराजगी जतायी है। देश की न्यायपालिका के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते, जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत को विधेयकों के अधिकांश लोकायुक्त शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गए हैं। दरअसल तमिलनाडु में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबे समय से लंबित रखने के मामले में था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को इस पर तीन महीने के अंदर कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे फैसले के बाद समयसीमा को लंबित रखने के मामले में समयसीमा निर्धारित कर दी है और इससे पहले विधेयकों को लॉन्ग रखने की कोई समयसीमा निर्धारित नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि यदि राज्य के बिनेट या मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल विधेयक को रोकते हैं या फिर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राज्यपाल को उस पर एक महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी। अगर राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के अंतर्गत राज्यपाल विधेयक को मंजूरी नहीं देते हैं या राष्ट्रपति के पास विधेयक को विचार के लिए भेजते हैं, तो उन्हें यह कार्रवाई तीन

महीने के अंदर करनी होगी। राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पहुंचता है, तो उनके पास भी इस पर फैसला लेने का तीन महीने का वक़्त होगा। यदि राज्य विधानभाषा किसी विधेयक को फिर से पारित कर देती है और उसे राज्यपाल के पास दोबारा मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल को एक महीने के भीतर मंजूरी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्देश पर उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका की भूमिका और पारदर्शिता की कमी की घटनाओं को लेकर चर्चा जताई है। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप को लेकर तीखे सवाल उठाए। हाल ही में एक जज के आवस पर हुई घटना, उन पर एफआईआर दर्ज न होने और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी, जहां जज कानून बनाएँ, कार्यपालिका का काम भी काम खुद ही करेँगे और सुपर संसद की तरह काम करेंगे। राष्ट्रपति के अनुशासन विधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख कार्य संविधान की व्याख्या करना है और यह कार्य कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा ही किया जाना चाहिए। संविधान में कहीं यह प्रावधान नहीं है कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश दे सकती है। संविधान राष्ट्रपति को देश की सेना का सर्वोच्च कमांडर और संविधान की रक्षा, संरक्षण और पालन का उत्तरदायी बनाता है। ऐसे में न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति को निर्देश देना संविधान की भावना के विपरीत है। अदालत द्वारा राष्ट्रपति को एक तय समय पर सीमा में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया, जो न्यायिक दायरे से परे है। न्यायपालिका का कर्तव्य संविधान के दायरे में रहकर उसकी व्याख्या करना है, न कि कार्यपालिका की भूमिका निभाना। उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए इसे लोकतांत्रिक संतुलन के लिए एक चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान अब %नृविलयन मिसाइल% की तरह हो गया, जो हर समय न्यायपालिका के पास उपलब्ध रहता है। अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद



से यह बहस छिड़ा हुआ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय राजनैतिक कारणों से किसी भी विधेयक को लोक सभा की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए है। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को देखा जाए तो यह आम जनता और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की दिशा में सही कदम है। लेकिन राष्ट्रपति को देकर आदेश (किताबत) वैध है? संविधान के अनुच्छेद 145 (3) में अनिवार्य है। अनुच्छेद 145 (3) में कहा गया है कि संविधान की व्याख्या के संबंध में विधि के किसी साखवा प्रश्न से संबंधित किसी मामले का निर्णय करने के लिए या अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किसी संदर्भ की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पाँच होगी। इसमें ऐसे मामलों की सुनवाई करने के लिए संविधान पीठ का विकल्प नहीं दिया गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वह संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 की व्याख्या करके दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच ना सैवैधानिक थी और ना ही इसमें न्यूनतम पांच जज थे। ऐसे में सवाल यह है कि सिविधान के अनुच्छेद 143 (3) का अर्थ बन करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय वैध है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कार्यपालिका को खुद जज नहीं बनना चाहिए, उसे सैवैधानिक मामलों से जुड़े मामलों को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट भेजना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि सिविधान के मसलों से जुड़े ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सिविधान के निर्माताओं ने उसमें अनुच्छेद 145 (3) का प्रावधान किया था, ताकि उस पर विद्वान जजों की बहुमत द्वारा विश्लेषण किया जा सके। सिविधान का अनुच्छेद 143(1) कहता है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की आशंका है, तो ऐसी प्रकृति का और ऐसी महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन होगा तो वह उस

प्रश्न पर विचार करने के लिए न्यायालय को 'निर्दिष्ट' करण और वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात जो यह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करण। दरअसल, संविधान के अनुच्छेद 124 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें तब सुप्रीम कोर्ट के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और इसके साथ ही 7 अन्य न्यायाधीशों की बात कही गई थी। अनुच्छेद 145 (3) में साफ कहा गया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए न्यूनतम पांच जज होंगे। यानी कुल 8 जजों में से कम से कम 5 जज यानी कम से कम 62 प्रतिशत जज शामिल रहेंगे। इस तरह देखें तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान पीठ में सिर्फ दो जज थे। अगर अनुच्छेद 143 की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जजों की कुल 33 में से कम से कम 21 न्यायाधीश शामिल होने चाहिए, जो इस तरह के संवैधानिक मामले पर सुनवाई करें। इतना ही नहीं, वर्तमान निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 और 201 में समय-सीमा का प्रावधान जोड़ा है, जो यह उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। संविधान भारत के राष्ट्रपति और अदालतों का कार्य अलग-अलग है। संविधान के अनुसार देश का राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद होता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की सबसे बड़ी इकाई है। सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए उसे मानना बाध्यकारी नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश देने से बचना चाहिए, जिसकी अवमानना का खतरा हो। लक्ष्मणरेखा का ध्यान न्यायपालिका, संसद और कार्यपालिका सभी को रखना चाहिए। अदालतों के कई फैसले कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण जैसे हैं। इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव की स्थिति बनती है। संविधान ने सभी पक्षों के लिए कुछ सीमाएं तय की हैं। इनका पालन ही समाज और देश के हित में है।मीलाई को अपनी हदों को पहचानना होगा।

मनोज कुमार अग्रवाल

संपादकीय

स्वास्थ्य और शिक्षा अब सेवा नहीं बड़ा व्यवसाय है

शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी को वर्षों से कचोट रहे हैं लेकिन अब एक इन पर कोई नकेल नहीं कसी जा सकी है। अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की परिचरूपता हर कोई करता है लेकिन यही दो चीजें जो आम आदमी को पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सरकारी स्कूलों और सरकारी चिकित्सालयों की दशा किसी से छिपी नहीं है और प्राइवेट में जो लूट मची हुई है उससे हार नहीं ले रहे। ऐसा कौन सा कारगर है जो सेवाओं के आसमान छूते दाम और स्कूलों की मनमाना फीस और तथा किताबों के बेतहाशा बढ़े दामों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। एक समय था जब शिक्षा और स्वास्थ्य को एक सेवा के रूप में जाना जाता था लेकिन अब नहीं सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है। तमाम ऐसे बड़े प्राइवेट अस्पताल और लैबोरेटरी हैं जो शेयर बाजार तक में लिस्टेड हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार को इस विषय में जानकारी नहीं है। लेकिन इनके अगर सरकारें क्यों जांचवृत्त है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पहले हम स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। यह सच है कि सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर तमाम सरकारी सेवाएं शुरू की हैं। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ी हैं। महंगी दवाओं का विकास भी सरकार ने प्रथमजोती जन औषधि केन्द्र के रूप में दिया है लेकिन यह न काफी है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति सीधे प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागता है वहां न तो सस्ते अस्पताल हैं और न ही सस्ती दवाइयां। अस्पतालों की लूट की कहानी हर किसी को पता है लेकिन सरकार के नियंत्रण से बाहर है। एक प्राइवेट डाक्टर यदि दवा लिखता है तो वह केवल निर्धारित मेडिकल स्टोर पर ही मिलेगी। उनमें इस तरह की सैटिंग होती है की 40 से 50 फीसदी तक निर्मान होता है। जिसका कुछ भाग डाक्टरों के पास भी जाता है। इसी तरह मेडिकल जांचों में भी बहुत बड़ खल होता है। निर्धारित पैथालॉजी या स्कैन सेंटर पर ही जांच के लिए भेजा जाता है। जिसमें सीधे तौर पर 20 से 30 फीसदी तक डाक्टर का कमीशन होता है। अन्य पैथालॉजी की जांच डाक्टर के अमान्य कर देते हैं।



प्राइवेट अस्पतालों का बैड चार्ज, नर्सिंग चार्ज, मरीगीं दवायाँ आम आदमी की कमर तोड़ देती हैं वहीं जाइ आईसीयू की नौबत आ जाता तब तो मरीज का घर मकान खरब बिकने की नौबत आ जाती है। इसके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं हैं। बताया जाता है कि बड़े अस्पतालों की बड़ी सेंटिंग रहती है इसलिए जनपद के सीएमओ और जिलाधिकारी भी हाथ नहीं डालते हैं और वहां की लूट निरंतर जारी रहती है। कानून में अभी हाल ही में एक सप्ता पक्ष के विधायक ने एक बड़े अस्पताल को सोशल मीडिया पर खूब खरी-खोटी सुनाई थी। लोगों से रिव्यू लिए थे। यहां तक कि यह बोल दिया था कि यह कानून का सबसे लुटेरा अस्पताल है। काफी दिन तक यह मामला सोशल मीडिया पर छाया रहा उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। हो सकता है कि विधायक जी कुछ समझें। हो गया ही। बहरहाल चिकित्सा क्षेत्र में लूट बढातू जारी है और हाल फिलहाल इसका कोई हल निकलना नहीं दिखाई दे रहा है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है शिक्षा जो आजकल काफी फल-फूल रहा है। स्कूल मालिक एक के दो के दो के चार स्कूल बनाने चले जा रहे हैं। क्यों कि आप एक बार बच्चे का एडमिशन करा दे फिर तो पूरा साल उन स्कूलों को चढ़ाती चढ़ानी ही है। यदि शिक्षा के स्तर की बात करें तो आप यदि बच्चों को घर पर नहीं पढ़ाते हैं और कोरॉनिंग नहीं कराते हैं तो स्कूली शिक्षा से बच्चे नहीं होने पावें। एक फर्स्ट क्लास के बच्चे की बू

4000 क्रीमट की आ रहों हैं और वो भी उनकी परिभाषित दुकानों पर ही मिलेंगी। शिक्षा सत्र शुरू होने पर अधिकारी कुछ नकेल कसने में लगे। नतीजा बाद में हालात फिर पहले जैसे ही हो जाते हैं। और शिक्षा का यह व्यापार पूरे साल चलता रहता है। फीस की भी इतनी पैटागिरि है कि समझ नहीं आता कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं या बिल्डिंग मेंटीनेंस देकर हम स्कूलों का बिल्डिंग तैयार करवा रहे हैं।

देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिए। एक कक्षा की शिक्षा एक होनी चाहिए। जिससे यह लूट खसोट को बंद किया जा सके। अभी कुछ समय पहले मध्यप्रदेश के भिंड जिले के जिलाधिकारी का एक सफ़रलुट देखने को मिला था जिसमें उन्होंने सभी कक्षाओं की किताबों के दाम फिक्स कर दिए थे। ऐसा पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता। आखिर एनसीईआरटी की किताबों में क्या कमी है। एनसीईआरटी की बुक्स का अध्ययन करके बच्चे देश की सर्वाधिक कठिन परीक्षा यूपीएससी की तैयारी करते हैं। फिर ये स्कूल एनसीईआरटी बुक्स चलाने में क्यों बचते हैं, क्यों महंगी किताबें लगाते हैं। इन सभी बातों को देश के शिक्षा मंत्र और प्रदेश के शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए। नहीं तो यह शिक्षा ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी। शिक्षा केन्द्र के नाम पर जो लूट खसोट मची है इस पर यह दिग्दर्श निर्णय नहीं लिया गया तो आगे हालात और भी ख़राब हो सकते हैं।

- जितेन्द्र सिंह पत्रकार

अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन से भाजपा उत्साहित

अन्नादमुक के साथ अपने नए गठबंधन की घोषणा को लेकर भाजपा इतनी उत्साहित थी कि पहली बार पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कावर करने के लिए पत्रकारों के एक समूह को चेन्नई भेजा। हिंदी और अंग्रेजी मीडिया समूहों के दस पत्रकारों को चेन्नई में एक बड़ी घोषणा करने के वादे के साथ एक दिवसीय यात्रा के लिए भेजा गया था। कुछ समय से भाजपा को कावर कर रहे एक पत्रकार के अनुसार, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पार्टी ने इस तरह की मीडिया यात्रा की व्यवस्था नहीं की है। इस बार, भाजपा ने अपने बनाये इस नियम से परे जाकर इन पत्रकारों को चेन्नई भेजने का निर्णय लिया क्योंकि भाजपा अन्नादमुक के साथ गठबंधन को तमिलनाडु में पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में पेश करने के लिए बताब थी और हिंदी पार्टी में इसके लिए व्यापक प्रचार चाहती थी।

सचिन पायलट राजस्थान में फिर
संभाल सकते हैं नेतृत्व

एसा लगता है कि सचिन पायलट 2028 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच एक लोकप्रिय विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाई माधोपुर में कांग्रेस लक्ष्मण अश्वक्ष के साथ एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान यही पाया। गांधी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के दौर पर थे। वहां पर वे पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष छुट्टन लाल मीणा से बातचीत करने के लिए रुके। उन्होंने मीणा से पूछा कि कांग्रेस का नेतृत्व किस करना चाहिए। मीणा ने तुरंत जवाब दिया, «सचिन पायलट।» यह जवाब महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान की जाति-आधारित राजनीति में, मीणा और गुर्जर (पायलट का समुदाय) वर्षों से मीणा समुदाय की अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किए जाने की मांग को लेकर एक-दूसरे से भिड़े हुए हैं। वास्तव में, एक समय तो राज्य में दोनों समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं। एसा लगता है कि अब यह सब अतीत का बगल हो गई है। छुट्टन लाल मीणा ने कहा कि वे दो कारणों से पायलट का समर्थन करते हैं। एक यह कि वे युवा हैं और दूसरा यह कि पायलट एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें राजस्थान में सभी 36 समुदायों का



प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में देखा जाता है। जवाब में गांधी मुस्तुकाए लेकिन कुछ नहीं बोले। जैसे ही पीणा की कांग्रेस नेता के साथ संक्षिप्त मुलाकात की खबर फैली, पायलट समर्थक उम्मीद कर रहे हैं कि टोक विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही नेतृत्व की स्थिति में वापस आ जाएंगे।

इस बात कितने दिन बसपा में टिक पाएंगे आकाश आनंद ?

बीएसपी प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद, कुछ सप्ताह पहले निष्कासित किए जाने के बाद पार्टी में वापस आ गए हैं। एक साल की अवधि में यह उनकी तीसरी बार घर वापसी है और बीएसपी हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि इस बार वह कितने दिन टिक पाएंगे। आनंद को पूरी तरह से माफी मांगनी पड़ी और अपने ससुर, पूर्व बीएसपी सांसद अशोक सिद्धार्थ से दूर रहने का वादा करना पड़ा। आकाश ने कहा कि उन्होंने पिता आनंद कुमार जो मायावती के बड़े भाई हैं, उन्होंने अपनी बहन से आकाश को एक और मौका देने की गुहार लगाई। मायावती की माफी पाने के लिए आकाश को अपने ससुर का सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करना पड़ा। उन्होंने पस पद कई पोस्ट में ऐसा किया जिसमें उन्होंने कहा कि मायावती उनकी एकमात्र राजनीतिक गुरु हैं और वह किसी और से राजनीतिक सलाह नहीं लेंगे।

मायावती को संदेह था कि सिद्धार्थ और आनंद पार्टी पद कब्जा करने और उन्हें हाशिए पर डालने के लिए गुट बना रहे हैं। हालांकि आनंद वापस आ गए हैं, लेकिन उनकी भविष्य की भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं है। वह जिस पद पर थे, वह राष्ट्रीय समन्वयक का था, जो अब तीन लोगों, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, पूर्व सांसद राजा राम और बसपा के दिग्गज नेता रणधीरा सिंह बेनीवाल के बीच बंट रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह

है कि पिछले समाह मायावती की अध्यक्षता में हुई संगठनात्मक बैठक में आकाश की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से देखी गई। अब सवाल यह है कि वह विनम्र होने के बाद कहां खड़े हैं? बसपा खेमा इस जारी पारिवारिक नाटक के अगले चरण के सामने आने का इंतजार कर रहा है।

राजनीति करने के इच्छुक नहीं
दिखते गुलाम नबी आजाद

कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता गुलाम-
नबी आजाद पिछले साल जम्मू-
कश्मीर में हुए विधानसभा चुनावों में
हार के बाद राजनीति में सक्रिय
भूमिका निभाने की इच्छाशक्ति खो
चुके हैं। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय पार्टी
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी
को सत्ती इकाइयों को भंग कर दिया
है, जिसे उन्होंने गांधी परिवार के साथ
टकराव के बाद 2022 में कांग्रेस
छोड़ने के बाद बनाया था। हालांकि
उन्हें जम्मू-कश्मीर की राजनीति में
अपने लिए जगह बनाने की उमीद
थी, लेकिन 2024 के राज्य चुनावों में
वह अपने गृह क्षेत्र जम्मू में कांग्रेस को
बुरी तरह नुकसान पहुंचाने में सफल
रहे। अब 76 साल की उम्र में उन्हें
अपने लिए कोई राजनीतिक भविष्य
नहीं दिखता। हालांकि उन्होंने अपनी
पार्टी में नए चेहरे नियुक्त करने की
बात की है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के
राजनीतिक हलकों में कोई भी उमरा
गंभीरता से नहीं ले रहा है। ऐसा लगता
है कि आजाद के लिए अब रास्ता
खत्म हो गया है, जो कभी कांग्रेस में
एक ऊंचे कद के नेता थे। आजाद
पहले नरसिम्हा राव के राजनीतिक
प्रबंधक के रूप में और फिर बाद में
सोनिया गांधी राजनीतिक प्रबंधक के
रूप में काफी ताकतवर हुआ करते
थे। सोनिया गांधी ने 1998 में
कर्नाटक के बेल्लारी से अपने पहले
लोकसभा चुनाव के लिए अभियान
का प्रबंधन करने के लिए अन्य सभी
नेताओं के मुकाबले उन्हें चुना था।

संक्षेप खबरें

मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत द्वारा दारागंज से शास्त्री पुल के मध्य बने पार्क एवं संगम क्षेत्र में सफाई का निरीक्षण



प्रयागराज। मण्डलायुक्त विजय विश्वास द्वारा महाकुम्भ 2025के दृष्टित दारागंज पर शास्त्री पुल के मध्य बने पार्क एवं संगम क्षेत्र में सफाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय दयानन्द प्रसाद अपर तालिकाकारि नवीन शर्मा अधिशासी अभियन्ता लोनी0वि निर्माण खण्ड-3 एवं 00आनन्द सिंह सहायक प्रभारी सैनितेशन परस्थित थे। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि इस पार्क को आगामी 05 एवं 06मेटेनस का कार्य करया जायेगा। इस पार्क मूर्ति की स्थापना की जानी है जिसके लिए तर्ति पार्क में रखी पायी गयी। बताया गया कि मागामी सप्ताह में मूर्ति की स्थापना हो जायेगी। निरीक्षण के समय पार्क में गंदरी तथा कई श्थान पर गिट्टी बिखरी पायी गयी। अधिशासी अभियन्ता को चेतावनी निर्गत करते हुए पार्क में नियमित सफाई करायें जाने तथा मेटेनस न डेढे माह का पैसा भुगतान न किए जाने का निर्णयित मेटेनश करायें जाने के निर्देश दिए गए। संगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था हेतु लगे सफाई कर्मी की उपस्थिति पंजिका को देखा गया। उपस्थिति पंजिका सही प्रकार से न बनाये जाने एवं उसका समुचित रखबाल को किए जाने पर सहायक प्रभारी मेटेनशन को निर्देश किया गया कि सफाई कर्मी की क्षेत्रवार एवं समयवार ड्यूटी लगाया जाना सुनिश्चित करें।

सिराथू ब्लॉक में एडीओ कार्यालय से
लैपटॉप, बैटरी, इन्वर्टर हुआ चोरी



सिराथू चौशाब्दी। जनपद में बेवौष
 चोरों ने सैनी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत सिराथू
 लॉक परिसर स्थित एडीओ पंचायत में
 अनिवार की रात को चोरी की वारदात अंजाम
 दिया। जिसमें चोरों ने कार्यालय का ताला
 डोड़कर जैपटॉप, बैटरी, इन्वर्टर जरूरी
 स्तावेज की चोरी कर ली। सुबह जब
 कर्मचारी कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि
 एडीओ पंचायत कार्यालय का ताला टूटा हुआ
 कार्यालय के अन्दर का सामान बिखरा हुआ
 और कार्यालयों ने तुरन्त 112 डायल किया
 और सिराथू चौक की पुलिस को भी घटना
 की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस
 जांच कर चोरों की तलाश में लुट गई है।
 पुलिस ब्लॉक में लगे सीसीटीवी कैमरे की
 फुटेज की जांच कर रही है। ब्लॉक परिसर में
 चोरी की इस वारदात से ब्लॉक में हड़कम्प
 मचा हुआ है।

निवर्तमान विधायक संजय गुप्ता ने की जनसुनवाई



कोशाम्बी। निवर्तमान विधायक चायल रंजन कुमार गुप्ता ने अपने पेट्रोल पम्प देव कलिंग स्टेशन स्थित जनसुनवाई कार्यालयों में प्रत्येक शनिवार के भाति आज जनसुनवाई का कार्यक्रम किया जिसमें लगभग 27 शिकायती पत्र प्राप्त हुई जिसमें सहायदातर शिकायत जमीन से विवादित शिकायती पत्र प्राप्त हुये गुप्ता ने तत्काल शिकायतों से सम्बन्धित अधिकारियों से मीटिंग के माध्यम से वार्ता कर अति शीघ्र शिकायत निस्तारण के लिए कहा शिकायतों में मुख्य रूप से बालिहावाँ से रेखा गुप्ता ने शिकायती पत्र देते हुये बताया कि मेरे पति रंजेश को 4 वर्ष पूर्व मरुस्त हो गई है परन्तु गुप्ता ने अभी तक चलासत नहीं किया साथ ही पीड़ित महिला ने बताया कि मेरे पति के गुजर जाने के बाद आज तक राशन कार्ड नहीं बन पाया जिससे बच्चों का पालन पोषण में असुविधा होती है पूर्व विधायक रंजन कुमार गुप्ता ने सहायता राशि देते हुए कहा कि आपकी समस्याओं का अति शीघ्र निस्तारण कराऊंगा। रंजेश साहू मूलतः बदले से जमीन की विवाद का निस्तारण पत्र दियी राजनी सरोज से बेटी के विवाद हेतु सहायता मांगी राजकुमार ने परिवारिक विवाद को शिकायती पत्र दिया रंजन कुमार गुप्ता सम्बन्धित अधिकारियों से वार्ता कर अति शीघ्र समस्या शिकायतों का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया जनसुनवाई में प्रमुख रूप से सम्मानित जन पथित रहे।

सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले से सरकार बौखलाई। उपराष्ट्रपति सारी मर्यादाएं तोड़ कर टिप्पणी कर रहे हैं



‘अपनी पूरी क्षमता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा’ - इस वाक्य के प्रत्येक शब्द पर ध्यान दें। संविधान के अनुच्छेद 13(2) और अनुच्छेद 26 पर विचार करें। अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो संविधान के अनुरूप न हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। यह न्यायिक समीक्षा का स्पष्ट आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की शर्तों के अधीन है। इसके तहत प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक संस्थाएँ स्थापित करने, उनके प्रबंधन, संपत्ति अर्जन और कानून के अनुसार उसका प्रशासन करने का अधिकार है। संक्षेप में, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है, लेकिन यह कुछ नियमों के साथ आती है।

राष्ट्रपति केवल नाममात्र के प्रमुख होते हैं और कैबिनेट की सलाह पर कार्य करते हैं। उनके पास कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता। यह कहना है राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिकवक्ता कपिल सिब्बल का। उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ के हालिया बयानों पर कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि जब

**अमरोहा में 9 साल की बच्ची तो अमेठी में चार साल की मासूम से दुष्कर्म,
कुशीनगर में स्कूली छात्रा से शिक्षक कर रहा था शारीरिक शोषण**



एक समारोह में गई थीं तभी उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची ने परिजनों को इसकी जानकारी दी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. दो दिन बाद जब मासूम की तबीयत बिगड़ी उसके बाद परिजनों ने घटना को गंभीरता से लिया और शुक्रवार देश शम को पिता ने थाने में तहरीर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी।

कुशीनगर जिले में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी शिक्षक श्याम मंडल पश्चिम बंगाल का रहने वाला है।

प्रयागराज के परेड ग्राउंड में लगी आग लालू एंड संश टेंट गोदाम जलकर खाक लाखों का नुकसान

● पांच घंटे बाद दर्जनों दमकलों
ने बुझाई आग।



लल्लू जी एंड संस टेंट हाउस प्रयागराज के कुंभ और माघ मेला क्षेत्रों में वर्षों से टेंट, पंडाल, बिजली और ध्वनि व्यवस्था से जुड़ी सेवाएं प्रदान करता आया है। कंपनी को हर साल करोड़ों रुपये का टेंडर प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत सतों, कल्पवासियों और सरकारी संस्थाओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती हैं।

परेड ग्राउंड स्थित गोदाम में लगी
आग

लल्लू टेंट हाउस के गोदाम प्रयागराज के नैनी, झुंसी, रामबाग और परेड ग्राउंड जैसे क्षेत्रों में स्थित हैं। परेड ग्राउंड का गोदाम सबसे प्रमुख माना जाता है क्योंकि यहीं से मेला क्षेत्र की अधिकांश व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। इसी गोदाम में आज आग लगी, जिससे लाखों रुपये की सामग्री जलकर खाक हो गई



प्रशासन सतर्क, कारणों की जांच जारी
फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन नुकसान काफी भारी बताया जा रहा है। प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने तहसील मंझनपुर में जनशिकायतों को सुनकर सम्बन्धित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण व समयान्तर्गत निस्तारित करने के लिए निर्देश



निर्देश दिये।
तहसील चायल में कुल 23 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 01 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया तथा तहसील सिराथु में कुल 27 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 02 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अजीत कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी प्रवृद्ध सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी मंगनपुर अजेन्द्र सिंह, तहसीलदार संजय कुमार दुबे, सविता अन्य सहान्वित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

को 'सुपर ससद' की भूमिका में स्थापित करने का प्रयास किया है। ये बातें उन्होंने राज्यसभा इंटरनैशनल कार्यक्रम के समापन समारोह में कही। धनखड़ ने अनुच्छेद 142 को "न्यायपालिका के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध परमाणु मिसाइल" बताया, जो एक तीखा और प्रतीकात्मक बयान है।

यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से शुरू हुआ, जिसमें राष्ट्रपति को समय-सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। वक्फ कानून में न्यायिक हस्तक्षेप ने इस विवाद को और बढ़ाया। धनखंड ने सवाल उठाया, "राष्ट्रपति, जो देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, उन्हें आदेश देना कि वे कब और कैसे फैसला लें, क्या यह लोकतंत्र के संतुलन को बिगाड़ने वाला नहीं है?" उन्होंने पूछा, "यदि राष्ट्रपति समय पर निर्णय नहीं लेते, तो क्या यह स्वतः कानून बन जाता है? यह कैसी व्यवस्था है?"

वर्तमान शासन में 'राज्यपाल राज' की एक खतरनाक प्रवृत्ति उभरी है, जो संविधान को कमजोर कर रही है। यह इतने सूक्ष्म तरीके से हो रहा है कि इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। संवैधानिक रूप से नाममात्र के व्यक्ति होने के बावजूद, राज्यपाल राज्य सरकारों के प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं

अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग इसौटा लोंहगपुर पहुंचे

मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा अनुसूची सारी सुविधाएँ परिवार को प्रदान किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। देशियों को बख्सा नहीं जायेगा और जो अभियुक्त अभी तक नहीं गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि देशियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।

उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को 8 लाख 25 हजार रुपये की सहायता राशि, 5 लाख रुपये मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से, 30 हजार रुपये पारिवारिक सहायता के रूप में, बच्चों के भरण पोषण के लिए 5 हजार रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से प्रतिमाह एवं प्रति नाबालिग बच्चों को 4 हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रतिमाह दी जायेगी। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 1 एकड़ जमीन



का पट्टा एग आवाम व आवाम के लिए दो बिस्वा जमीन के लायन के साथ ही वृद्धावस्था पेनन का अरठ भी दिलाया जायेगा। अथ्यक्ष ने कहा कि हम सब लोग पवित्र परिवार के साथ है और उनकी पूरी मदद की जायेगी। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी कारुणा तपन मिश्रा, एसीपी करुणा कर्ण कुमार, राष्ट्रीय कामगार मजदूर सभा संयोजक श्रवण तिवारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

ए बा केकरा बाप के डर बा', गाने
जिलों के बारातियों में मारपीट

भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और 12 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया।

बता दें कि तरवा थाना क्षेत्र के ठाटा गांव से 18 अप्रैल को एक बारात बलिया जिले के बेल्थरा गई थी. बताया जा रहा है कि दूल्हा अपने बहन के घर शादिनाबाद गाजीपुर में पला बढ़ा ठाटा गाजीपुर के लोग और दूल्ह के पैतृक गांव के लोग बारात में शामिल हुए. तभी बारात में 'आजमगढ़ में घर बा केकरे बाप के डर बा' गाने को लेकर दोनों जिलों आजमगढ़ और गाजीपुर के बाराती आपस में भिड़-हुए. विवाद बढ़ा ठाटा दोनो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. जिसके बाद बारात में भगदड़ मच गई. लोग वाहनों में सवार होकर भागने लगे. इसी दौरान एक वाहन से 4 लोग दब गए. जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है शनिवार की सुबह जब दूल्हे की बहन अपने मायके ठाट गांव से महिलाओं और बच्चों को लेकर अपने ससुराल जाने के लिए निकली तो इसकी जानकारी ग्रामीणों ने देई, और रात की पिटाई से आक्रोशित लोगों ने हुं, लाठी, डंडे से लैस होकर हमला बोल

दिना. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस टीम पर भी ग्रामीणों ने पथराव किया. जिसमें एक महिला सिपाही का सिर फट गया. जानकारी के बाद आसपास के थाने की पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह से मामले को शांत कराया।

एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि ठाट गांव का दूल्हा अपनी बहन के घर गाजीपुर का शांतिग्राम में पला बढ़ा था, तो वहां से भी बाराती बलिया जिले के बेल्थरा बारात में पहुंचे थे. जहां डीजे पर गाने बजाने को लेकर जमकर मारपीट हुई. शनिवार की सुबह दूल्हे की बहन सात महिलाओं व 3 बच्चों के साथ वहां में सवार होकर ठाट गांव से जा रही थी तभी आरोपियों ने वाहन पर पथराव किया तो डेफोड की. पुलिस ने बचने का प्रयास किया तो पथराव किया गया. इस मामले में 12 उम्रद्विग्यों को गिरफ्तार किया गया है. सीसीटीवी फुटेज व रिकार्डिंग की जांच की जा रही है. सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

केपीएस भीटी में इण्टरहाउस क्रिज प्रतियोगिता में, वहीं हेलो किड्स भरवारी में इंग्लिश पोएम प्रतियोगिता में नन्हें बच्चों ने बिखेरा हुनर



प्रतियोगिता में नन्हें मुन्नों का आत्मविश्वास देखते ही बनता था क्योंकि इंस भरवारी शाखा में आज एक मनमोहक आयोजन हुआ, जिसमें नर्सरी, जूनियर केंजी और सीनियर केंजी के बच्चों ने इंग्लिश प्रतियोगिता में भाग लिया। मंच पर बच्चों ने रंग-बिरंगे परिधान पहनकर, अपनी मीठी आवाज में जैसे ही कविताएं प्रस्तुत कीं, वहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों और दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बच्चों ने कविताएं अत्यंत आत्मविश्वास और भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ सुनाई। यह प्रतियोगिता बच्चों में भाषा के प्रति रुचि जागृत करने, उनकी मंचीय शिक्षण को दूर करने और प्रस्तुति कौशल विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के अन्त में सभी प्रतिभागियों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों के चेहरों पर अत्यंत

हथ को झलक दिखाई दी। विद्यालय की डाइरेक्टर श्रीमती सीमा पवार ने प्रतियोगिता के अन्त में कहा- "हमारे विद्यार्थियों ने आज जिस आत्मविश्वास और ज्ञान का परिचय दिया, वह न केवल सराहनीय है, बल्कि यह दर्शाता है कि वे केवल अपने भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं विजेता टीम को हार्दिक बधाई देती हूँ और प्रतियोगिता में भाग लेने वाला सभी प्रतिभागियों को उनकी लगन और प्रयासों के लिए धन्यवाद देती हूँ।" विद्यालय परिवारों ने इन दोनों आयोजनों को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन आयोजनों ने यह सिद्ध कर दिया कि केपीएस भीटी एवं हेल्थ किड्स भवारी न केवल अकादमिक उच्चकृता की ओर अग्रसर हैं, बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

